**Title: Need to waive the condition requiring registered agreement for schools/registered societies being constructed with the aid of MP's Local Area Development Fund.**

**श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन व सरकार का ध्यान सांसद निधि द्वारा विद्यालयों, पंजीकृत सोसायटियों को निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में रजिस्टर्ड एग्रीमैंट की तरफ खींचना चाहता हूं। रजिस्टर्ड एग्रीमैंट कराने में प्रत्येक विद्यालय या पंजीकृत सोसायटी को प्रति लाख पर 10 से 15 हजार रुपए स्टाम्प् पेपर व एग्रीमैंट कराने में खर्च करने पड़ेंगे जो असहायता प्राप्त संस्थाओं पर अनावश्यक बोझ है क्योंकि ऐसी संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। इसलिए विकास हेतु निर्माण कार्य के लिए सांसद निधि से धन दिया जाता है।

मैंने अपने फूलपुर संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में असहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा संस्थाओं को एक-एक लाख रुपए निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद को पत्र लिखा था परन्तु जिलाधिकारी के यहां से प्रत्येक विद्यालयों को 62 रुपए 50 पैसे प्रति हजार का स्टाम्प पेपर व रजिस्टर्ड एग्रीमैंट कराने के लिए नोटिस भेजा गया जिस के कारण विद्यालयों में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि विधि विभाग/ मंत्रालय उन्हें रजिस्टर्ड एग्रीमैंट कराने के लिए बाध्य कर रहा है।

मैं आपसे तथा सरकार से मांग करता हूं कि रजिस्टर्ड एग्रीमैंट कराने का प्रतिबंध हटाया जाए तथा सामान्य स्टाम्प पेपर या हल्फनामा लेकर विद्यालयों, संस्थाओं में निर्माण कार्य शीघ्र कराए जाने की व्यवस्था करने का कट करें।